

# टिप लाइन पर कब कॉल करे

टिप लाइन: 1-866-602-9448

सुबह 6:30 बजे - शाम 8:00 बजे तक EST (आप काम के समय के बाद भी संदेश छोड़ सकते हैं और एक एजेंट आपसे वापिस संपर्क करेगा)

हम 200 से अधिक भाषाओं में आपकी कॉल ले सकते हैं। अपनी भाषा में बात करने को कहें।

English Español Français 普通話 हिंदी 한국어 Tagalog ภาษาไทย



## आपके कर्तव्य

आपका रोजगार अनुबंध आपकी नौकरी और कर्तव्यों को बताता है। आपको संबंधित कार्य करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन कोई भिन्न कार्य नहीं। यदि आपको लगता है कि आपको कोई अलग काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो टिप लाइन पर कॉल करें।



## आपकी रहने की स्थिति

यदि आपका नियोक्ता आपको आवास उपलब्ध कराता है, तो उसमें भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए, वह आवास गंदा नहीं होना चाहिए, या उसमें कीट नहीं होने चाहिए या टूटे हुए उपकरण और फर्नीचर नहीं होने चाहिए। अपने नियोक्ता से बात करें। यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तो टिप लाइन पर कॉल करें।



## आपका वेतन

आपके रोजगार अनुबंध में वेतन वह है जो आपको भुगतान किया जाना चाहिए। भुगतान नियमित समय पर होना चाहिए न कि देरी से। यदि आपके वेतन अलग है, या आपको भुगतान नहीं किया गया है, तो पहले अपने नियोक्ता से बात करें क्योंकि यह एक त्रुटि हो सकती है। यदि इसका समाधान नहीं किया जाता, तो टिप लाइन पर कॉल करें।



## आपका कार्यस्थल

दुरुव्यवहार कोई भी कर सकता है। दुरुव्यवहार के कुछ रूप हैं-आपत्तिजनक नामों का प्रयोग करना, हानिकारक टिप्पणियाँ करना, शारीरिक हिंसा, आपके दस्तावेजों को आपसे दूर रखना, और आपको निर्वासित (डिपोर्ट) करने की धमकी देना। यह अस्वीकार्य है। अपने नियोक्ता से बात करें, और यदि इसका समाधान नहीं किया जाता या आप नियोक्ता से बात करने में असमर्थ हैं, तो टिप लाइन पर कॉल करें।



## आपका स्वास्थ्य

आपका निःशुल्क प्रांतीय स्वास्थ्य बीमा शुरू होने तक नियोक्ता निजी स्वास्थ्य बीमा (प्राइवेट हेल्थ इन्शुरन्स) के लिए भुगतान करेंगे। यदि आप मौसमी कृषि श्रमिक कार्यक्रम (PTAS) के तहत काम करते हैं, तो आपका बीमा आपके PTAS अनुबंध द्वारा कवर किया जाता है। पहले अपने नियोक्ता से बात करें, और यदि आप अभी भी अनिश्चित हैं कि आपके पास स्वास्थ्य बीमा है या नहीं, तो टिप लाइन पर कॉल करें।



## आपकी तंदुरुस्ती

यदि आप ठीक महसूस नहीं करते हैं, तो अपने नियोक्ता को बताएं। वे आपको चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको डॉक्टर से जांच करवाने की आवश्यकता है और आपको इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, या यदि आपको बीमार होने पर काम करने के लिए कहा जाता है, तो टिप लाइन पर कॉल करें।



## आपके काम के घंटे

आपका रोजगार अनुबंध आपके काम के घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। आपको अधिक घंटे लेने से इंकार करने या उनको स्वीकार करने का अधिकार है। यदि आप अधिक समय तक काम करने में असमर्थ हैं तो अपने नियोक्ता से बात करें। यदि आपको लगता है कि आपको अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो टिप लाइन पर कॉल करें।



## आपका वेतन का चेक

अपने पेस्टब्स को अपने रिकॉर्ड के लिए रखें। आपका नियोक्ता आपके वेतन से जो एकमात्र धन ले सकता है वह सरकारी कटौतियाँ (जैसे कर) और आप जिस पर लिखित रूप से सहमत हैं, वह है। यदि आपका नियोक्ता वह धन काट रहा है जिसके लिए आप सहमत नहीं हैं, तो अपने नियोक्ता से बात करें क्योंकि यह एक त्रुटि हो सकती है। यदि इसका समाधान नहीं किया जाता, तो टिप लाइन पर कॉल करें।

## आपकी सुरक्षा के लिए आपके कार्यस्थल की जांच की जाती है

यदि आपके कार्यस्थल की जांच की जा रही है, तो चिंता न हो, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको जांच में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको लैपि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। इसका आपके वर्क परमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई सरकारी एजेंट आपसे बात करने के लिए कहता है, तो आप चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन आपके लैपि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो उनके सवाल का ईमानदारी से जवाब दें और बोलने से न डरें। वे आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।

